

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/खेल स्टेडियम/18-19/35941-53

दिनांक : 05.10.2018

परियोजना अधिकारी

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

डूंगरपुर।

विषय : स्व. भैरू सिंह चुण्डावत अमृतिया रा.उ.मा विद्यालय की खेल स्टेडियम की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्व. भैरू सिंह चुण्डावत अमृतिया रा.उ.मा विद्यालय, पं.स. आसपुर की खेल स्टेडियम की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से कार्य की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-6 अनुसार जारी की जाती है।

## कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	कार्य स्थान का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
		क्र./दि.	राशि	क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	स्व. भैरू सिंह चुण्डावत अमृतिया रा.उ.मा विद्यालय, पं.स. आसपुर की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण	34175-83/24.09.2018	25.66	EE Engg. ZP. RURAL Dev. DPR/03/02.10.2018	25.66

उपरोक्त कार्य पर राशि रु. 25.66 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-15/2018-19 द्वारा खेल सुविधाओं के विकास हेतु प्राप्त राशि में से होगा।

शर्तें-

- यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना निश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक करें।
- स्वीकृत कार्यों का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
- कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।


भवदीय

प्रभारी अधिकारी (इन्फा)

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/खेल स्टेडियम/18-19/35941-53  
प्रतिलिपि -

दिनांक : 05.10.2018

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. श्री गोपीचन्द्र मीणा, माननीय विधायक आसपुर मुकाम पोस्ट म्याला, तहसील साबला जिला डूंगरपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् डूंगरपुर।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि शासन की स्वीकृति संख्या-15/2018-19 द्वारा खेल सुविधाओं के विकास हेतु प्राप्त राशि में से राशि रु. 25.66 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तान्तरित करावें।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर/डूंगरपुर के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
10. प्रधान/विकास अधिकारी, पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर।
11. गार्ड फाईल।

  
प्रभारी अधिकारी (इन्फ्रा)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721  
ई-मेल : comm.tad@gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in